आर पी एफ की शक्तियाँ

केवल आर पी एफ ,संघ के सशस्त्र बल को निम्नलिखित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार करने, जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए कानूनी शक्तियां निहित हैं

(i) रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966

(II) भारतीय रेलवे अधिनियम 1989 अध्याय- XV दंड के तहत और अपराध

(III) रेलवे (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2003

संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ। - (१) इस अधिनियम को रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, १९६६ कहा जा सकता है। (२) इसका विस्तार पूरे भारत में है। (३) यह उस तारीख (१ अप्रैल १९६८) को लागू होगा, जैसा कि केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. परिभाषाएँ। - इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।-

(ए) "बल" का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा 3 के तहत गठित रेलवे सुरक्षा बल है;

(बी) "बल के सदस्य" का अर्थ है एक वरिष्ठ अधिकारी के अलावा बल में नियुक्त व्यक्ति;

(सी) "बल के अधिकारी" का अर्थ है बल में नियुक्त सहायक उप-निरीक्षक के पद का और उससे ऊपर का अधिकारी और इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी शामिल है;

(डी) "रेलवे संपत्ति" में रेलवे प्रशासन से संबंधित या उसके प्रभारी या कब्जे में कोई भी माल, धन या मूल्यवान सुरक्षा या जानवर शामिल है;

(ई) "श्रेष्ठ अधिकारी" का अर्थ रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (1957 का 23) की धारा 4 के तहत नियुक्त किसी भी अधिकारी से है और इसमें केंद्र सरकार द्वारा बल के वरिष्ठ अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अन्य अधिकारी शामिल है;

(फ) इस अधिनियम में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित नहीं और भारतीय रेल अधिनियम, १८९० (१८९० का ९) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें उस अधिनियम के तहत दिया गया है।१८९० (१८९० का ९), वही अर्थ होगा जो उन्हें उस अधिनियम के तहत दिया गया है।

3. रेलवे संपत्ति के अवैध कब्जे के लिए शास्ति। -

1. जो कोई भी रेलवे संपत्ति के कब्जे में पाया जाता है, या साबित होता है, चोरी या गैरकानूनी रूप से प्राप्त होने का उचित संदेह है, जब तक कि वह यह साबित नहीं करता कि रेलवे संपत्ति कानूनी रूप से उसके कब्जे में आई, दंडनीय होगा

(ए) पहले अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से, और न्यायालय के निर्णय में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास नहीं होगा एक वर्ष से कम हो और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम नहीं होगा;

(बी) दूसरे या बाद के अपराध के लिए, कारावास के साथ, जिसकी अवधि पांच साल तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है और अदालत के फैसले में उल्लेखित विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास नहीं होगा दो साल से कम और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा।

4. मिलीभगत के लिए सजा एक अपराध। -

भूमि या भवन का कोई स्वामी या अधिभोगी, या ऐसे स्वामी का कोई अभिकर्ता या उस भूमि या भवन के प्रबंधन का अधिभोगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध किसी अपराध में जान-बूझकर साठगांठ करता है, एक अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो कि पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों के साथ।

5. अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञेय नहीं होना। -

दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का ५) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय नहीं होगा।

6. वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। -

कोई भी वरिष्ठ अधिकारी या बल का सदस्य, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध में शामिल है या जिसके खिलाफ उसके इस तरह के संबंध में उचित संदेह मौजूद है।

7. गिरफ्तार व्यक्तियों का निस्तारण। -

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, यदि गिरफ्तारी बल के एक अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो बल के निकटतम अधिकारी को बिना किसी देरी के अग्रेषित किया जाएगा।

8. गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ जाँच कैसे की जाए। -

(१) जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए बल के एक अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या धारा ७ के तहत उसे भेजा जाता है, तो वह ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की जांच करेगा।
(२) इस प्रयोजन के लिए बल का अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उन्हीं प्रावधानों के अधीन होगा जो पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी प्रयोग कर सकता है और वह दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ के अधीन है (१८९८ का ५), एक संज्ञेय मामले की जांच करते समय होगा।

परंतु -

(ए) यदि बल के अधिकारी की राय है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो वह या तो उसे मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत के लिए स्वीकार करेगा, या उसे हिरासत में ऐसे मजिस्ट्रेट को भेज देगा।
(बी) यदि बल के अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो वह आरोपी व्यक्ति को बल के अधिकारी के रूप में जमानत के साथ या उसके बिना एक बांड निष्पादित करने पर रिहा करेगा। अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि और जब आवश्यक हो, उपस्थित होने का निर्देश दे सकता है, और मामले के सभी विवरणों की पूरी रिपोर्ट अपने वरिष्ठ अधिकारी को देगा।

9. साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए व्यक्तियों को बुलाने की शक्ति। -

(१) बल के एक अधिकारी को किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की शक्ति होगी जिसकी उपस्थिति वह आवश्यक समझता है या तो साक्ष्य देने के लिए या एक दस्तावेज पेश करने के लिए, या कोई अन्य चीज जो वह अधिकारी इस अधिनियम के किसी भी उद्देश्य के लिए कर रहा है।
(२) दस्तावेजों या अन्य चीजों को पेश करने के लिए एक सम्मन कुछ निर्दिष्ट दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए या सभी दस्तावेजों या एक निश्चित विवरण की चीजों को पेश करने के लिए या सम्मन किए गए व्यक्ति के नियंत्रण में हो सकता है।
(३) इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से या किसी अधिकृत एजेंट द्वारा उपस्थित होने के लिए बाध्य होंगे जैसा कि ऐसा अधिकारी निर्देश दे सकता है; और इस प्रकार बुलाए गए सभी व्यक्ति किसी भी विषय पर सच्चाई बताने के लिए बाध्य होंगे, जिसके संबंध में उनकी जांच की जाती है या वे बयान देते हैं और ऐसे दस्तावेज और अन्य चीजें पेश करने के लिए बाध्य होंगे जो आवश्यक हो:
बशर्ते कि सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) की धारा १३२ और १३३ के तहत छूट इस धारा के तहत उपस्थिति की मांग पर लागू होगी।
(४) उपरोक्त के रूप में प्रत्येक ऐसी जांच, भारतीय दंड संहिता की धारा १९३ और धारा २२८ के अर्थ के भीतर एक "न्यायिक कार्यवाही" मानी जाएगी।

10. तलाशी वारंट जारी करना। -

(१) यदि बल के किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी स्थान का उपयोग रेलवे की संपत्ति को जमा करने या बेचने के लिए किया जाता है जो चोरी हो गई थी या अवैध रूप से प्राप्त की गई थी, तो वह उस क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को एक आवेदन करेगा जिसमें वह स्थान तलाशी वारंट जारी करने के लिए स्थित है।
(२) जिस मजिस्ट्रेट को उप-धारा (१) के तहत आवेदन किया गया है, ऐसी जांच के बाद, जो वह आवश्यक समझे, अपने वारंट द्वारा बल के किसी भी अधिकारी को अधिकृत कर सकता है-
(ए) ऐसी सहायता के साथ, जो आवश्यक हो सकता है, उस स्थान में प्रवेश करे ;
(बी) वारंट में निर्दिष्ट तरीके से उसकी तलाशी लेना;

(ग) उसमें पाई गई किसी भी रेलवे संपत्ति का कब्जा लेने के लिए, जिसके चोरी होने या अवैध रूप से प्राप्त होने का उसे उचित संदेह है; तथा
(डी) ऐसी रेलवे संपत्ति को मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना, या जब तक अपराधी को मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाया जाता है, या अन्यथा किसी सुरक्षित स्थान पर उसका निपटान करने के लिए मौके पर ही उसकी रक्षा करना।

11. तलाशी और गिरफ्तारी कैसे की जाए। -

इस अधिनियम के तहत की गई सभी तलाशी और गिरफ्तारियां उस संहिता के तहत की गई तलाशी और गिरफ्तारी से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ (१८९८ का ५) के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।

12. अधिकारियों को सहायता की अपेक्षा । -

सरकार के सभी अधिकारी और सभी ग्राम अधिकारी इस अधिनियम को लागू करने में बल के वरिष्ठ अधिकारियों और सदस्यों की सहायता करने के लिए सशक्त और आवश्यक हैं।

13. वाहनों को जब्त करने का आदेश देने की न्यायालयों की शक्ति। -

इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की कोशिश करने वाला कोई भी अदालत सरकार को किसी भी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे सकता है जिसके संबंध में अदालत संतुष्ट है कि इस अधिनियम के तहत अपराध किया गया है और किसी भी पात्र, पैकेज या कवरिंग को जब्त करने का आदेश भी दे सकता है जिसमें ऐसी संपत्ति निहित है, और संपत्ति को ले जाने में उपयोग किए जाने वाले जानवर, वाहन या अन्य वाहन हो ।

14. अन्य कानूनों को ओवरराइड करने के लिए नियम। -

इस अधिनियम के प्रावधान तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

15. जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं कानूनों के संदर्भों का निर्माण। -

इस अधिनियम में किसी ऐसे कानून के संदर्भ में जो जम्मू और कश्मीर राज्य में लागू नहीं है, उस राज्य के संबंध में, उस राज्य में लागू संबंधित कानून, यदि कोई हो, के संदर्भ के रूप में माना जाएगा।

16. निरसन और बचत। -

(1) रेलवे स्टोर (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम, 1955 (1955 का 51) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
(२) इस अधिनियम में निहित कुछ भी अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों पर लागू नहीं होगा और ऐसे अपराधों की जांच और विचार किया जा सकता है जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था।
(३) उप-धारा (२) में विशेष मामलों का उल्लेख निरसन के प्रभाव के संबंध में सामान्य खंड अधिनियम, १८९७ (१८९७ का १०) की धारा ६ के सामान्य आवेदन को प्रभावित करने या प्रभावित करने के लिए नहीं माना जाएगा।

(ii) भारतीय रेल अधिनियम **1989** अध्याय-**XV** दंड और अपराध

137. कपटपूर्वक यात्रा करना या उचित पास या टिकट के बिना यात्रा करने का प्रयास करना

(१) यदि कोई व्यक्ति, रेल प्रशासन को धोखा देने के आशय से,-

(ए) धारा ५५ के उल्लंघन में रेलवे में किसी भी गाड़ी में प्रवेश करता है या रहता है या ट्रेन में यात्रा करता है, या

(बी) एकल पास या एकल टिकट का उपयोग या उपयोग करने का प्रयास जो पहले से ही पिछली यात्रा पर इस्तेमाल किया जा चुका है, या वापसी टिकट के मामले में, जिसका आधा पहले ही इस्तेमाल किया जा चुका है, वह कारावास से दंडनीय होगा एक अवधि के लिए जो छह महीने तक हो सकती है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों के साथ:
बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में अदालत के फैसले में उल्लेख किया गया है, ऐसी सजा पांच सौ रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगी।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट व्यक्ति, उस दूरी के लिए साधारण एकल किराए के अतिरिक्त, जो उसने यात्रा की है, या जहां है, उप-धारा (३) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। जिस स्टेशन से उन्होंने शुरुआत की थी, उस स्टेशन से जहां से ट्रेन मूल रूप से शुरू हुई थी, या ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच ट्रेन के मूल रूप से शुरू होने के बाद से की गई है, साधारण एकल किराया फॉर्म के बारे में कोई संदेह नहीं है। वह स्थान जहां टिकटों की इस प्रकार जांच की गई थी या उनकी एक से अधिक बार जांच किए जाने की स्थिति में, अंतिम बार जांच की गई थी।

(३) उप-धारा (२) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क उस उपधारा में निर्दिष्ट साधारण एकल किराए के बराबर या पचास रुपये, जो भी अधिक हो, के बराबर होगा।

(४) भारतीय दंड संहिता, (१८६० का ४५) की धारा ६५ में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, एक अपराधी को दोषी ठहराने वाला न्यायालय निर्देश दे सकता है कि अदालत द्वारा दिए गए किसी भी जुर्माने के भुगतान में चूक करने वाले व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास भुगतना होगा जो छह महीने तक की हो सकेगी ।

138. बिना उचित पास या टिकट या अधिकृत दूरी से अधिक यात्रा करने के लिए अतिरिक्त शुल्क और किराया वसूलना

(१) यदि कोई यात्री,--

(ए) धारा 54 के तहत मांग किए जाने पर ट्रेन में या ट्रेन से उतरते हुए, परीक्षा के लिए उपस्थित होने या अपना पास या टिकट देने से इंकार कर देता है। या

(बी) धारा ५५ के प्रावधानों के उल्लंघन में एक ट्रेन में यात्रा करता है, उस दूरी के लिए साधारण एकल किराया, जिस पर उसने यात्रा की है या, जहां से उस स्टेशन के बारे में कोई संदेह है, जहां से उसने शुरू किया था, साधारण एकल किराया उस स्टेशन से बनता है जहां से ट्रेन मूल रूप से शुरू हुई थी, या, यदि यात्रा करने वाले यात्रियों के टिकट ट्रेन के मूल रूप से शुरू होने के बाद से ट्रेन की जांच की गई है, साधारण एकल किराए की जगह जहां टिकटों की जांच की गई थी या उनकी एक से अधिक बार जांच की गई थी, उनकी अंतिम जांच की गई थी ,वह इस संबंध में अधिकृत किसी भी रेल कर्मचारी की मांग पर उप-धारा (३) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(२) यदि कोई यात्री,--

(ए) एक उच्च श्रेणी की ट्रेन से या उस गाड़ी में या उस पर यात्रा करने का प्रयास करता है, जिसके लिए उसने पास प्राप्त किया है या टिकट खरीदा है; यात्रा करता है ।

(बी) अपने पास या टिकट द्वारा अधिकृत स्थान से आगे या उस गाड़ी में यात्रा करता है, वह इस संबंध में अधिकृत किसी भी रेल कर्मचारी की मांग पर, उसके द्वारा भुगतान किए गए किराए और देय किराए के बीच किसी भी अंतर का उसके द्वारा की गई यात्रा और उप-धारा (3) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रभार के संबंध में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।
(३) अतिरिक्त शुल्क उप-धारा (१) या उपधारा (२) के तहत देय राशि के बराबर राशि होगी, जैसा भी मामला हो, या दो सौ पचास रुपये, जो भी अधिक हो:

बशर्ते कि यदि यात्री के पास धारा की उप-धारा (2) के तहत दिया गया प्रमाण पत्र है। 55, उप-धारा (२) में संदर्भित कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

(४) यदि कोई यात्री उप-धारा (१) में उल्लिखित अतिरिक्त शुल्क और किराए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, या अतिरिक्त शुल्क और इनमें से एक या अन्य उप-धाराओं (२) के तहत किराए के किसी भी अंतर का भुगतान करने में विफल रहता है या इन उप-धाराओं में से एक या अन्य के तहत मांग किए जाने पर भुगतान करने से इंकार कर देता है, जैसा भी मामला हो, रेलवे प्रशासन द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी रेल कर्मचारी किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकता है। प्रथम या द्वितीय श्रेणी, जैसा भी मामला हो, देय राशि की वसूली के लिए जैसे कि यह एक जुर्माना था, और यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट है कि राशि देय है तो वह इसे वसूल करने का आदेश देगा, और आदेश दे सकता है कि व्यक्ति भुगतान के लिए उत्तरदायी भुगतान के चूक में किसी एक अवधि के लिए कारावास जो एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है लेकिन दस दिनों से कम नहीं हो सकता है।

(५) उप-धारा (४) के तहत वसूल की गई कोई भी राशि, जब भी वसूल की जाएगी, रेल प्रशासन को भुगतान की जाएगी।

कोई भी व्यक्ति जो किराए और अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने में विफल रहता है या इनकार करता है, जो कि धारा में निर्दिष्ट है। 138 को इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल सेवक द्वारा हटाया जा सकता है जो उसकी सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह से हटाने के लिए बुला सकता है:

बशर्ते कि इस धारा की कोई बात किसी उच्च श्रेणी की गाड़ी से हटाए गए व्यक्ति को उस वर्ग की गाड़ी में अपनी यात्रा जारी रखने से रोकने वाली नहीं समझी जाएगी जिसके लिए उसके पास पास या टिकट है।

परन्तु यह और कि यदि कोई महिला या बच्चा पुरुष यात्री के साथ नहीं है तो उसे उस स्टेशन को छोड़कर जहां से वह या उसकी यात्रा शुरू करता है या किसी सिविल जिले के मुख्यालय के जंक्शन या टर्मिनल स्टेशन या स्टेशन पर नहीं हटाया जाएगा। और ऐसा निष्कासन केवल दिन के दौरान ही किया जाएगा।

140. कुछ मामलों में अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा

(१) जब किसी व्यक्ति को धारा १३७ या धारा १३८ के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने वाली अदालत को पता चलता है कि वह आदतन अपराध कर रहा है या करने का प्रयास कर रहा है और अदालत की राय है कि उस व्यक्ति की आवश्यकता है या वांछनीय है अच्छे व्यवहार के लिए एक बांड निष्पादित करने के लिए, ऐसी अदालत व्यक्ति को सजा सुनाते समय, उसे ऐसी राशि के लिए या बिना जमानत के एक बांड निष्पादित करने का आदेश दे सकती है और ऐसी अवधि के लिए जो तीन साल से अधिक न हो जैसा कि वह उचित समझे।

(२) उप-धारा (१) के तहत एक आदेश अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय भी किया जा सकता है।

141. ट्रेन में संचार के साधनों में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करना

यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, उचित और पर्याप्त कारण के बिना, रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन में यात्रियों और ट्रेन के प्रभारी रेल सेवक के बीच संचार के लिए प्रदान किए गए किसी भी साधन का उपयोग या हस्तक्षेप करता है, तो वह दंडनीय होगा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से:

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में अदालत के फैसले में उल्लेख किया गया है, जहां एक यात्री, बिना उचित और पर्याप्त कारण के, रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की गई अलार्म श्रृंखला का उपयोग करता है, ऐसी सजा नहीं होगी से कम नही होगी -

(ए) पहले अपराध के लिए दोषसिद्धि के मामले में पांच सौ रुपये का जुर्माना; तथा

(बी) दूसरे या बाद के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के मामले में तीन महीने के लिए कारावास।

142. टिकटों के हस्तांतरण के लिए जुर्माना

(१) यदि कोई व्यक्ति रेल सेवक या इस निमित्त प्राधिकृत एजेंट नहीं है ---

(ए) कोई टिकट या वापसी टिकट के आधे हिस्से को बेचता है या बेचने का प्रयास करता है; या
(बी) एक टिकट के हिस्से या भाग लेने के प्रयास, जिसके खिलाफ सीट या बर्थ का आरक्षण किया गया है या वापसी टिकट या सीजन टिकट का कोई आधा हिस्सा है, ताकि किसी अन्य व्यक्ति को उसके साथ यात्रा करने में सक्षम बनाया जा सके, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडनीय होगा, और उस टिकट को भी जब्त कर लेगा जिसे वह बेचता है या बेचने का प्रयास करता है या भाग करने का प्रयास करता है या भाग लेने का प्रयास करता है।

(२) यदि कोई व्यक्ति इस निमित्त प्राधिकृत रेल सेवक या अभिकर्ता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति से उप-धारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कोई टिकट क्रय करेगा या उस उप धारा के खंड (बी) में निर्दिष्ट कोई टिकट अपने क़ब्जे में लेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन महीने तक हो सकती है और जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक हो सकता है, दंडनीय होगा और यदि पूर्वोक्त टिकट का क्रेता या किसी टिकट का धारक उससे यात्रा करता है या उसके साथ यात्रा करने का प्रयास करता है, तो उस टिकट को जब्त कर लिया जाएगा जिसे उसने खरीदा या प्राप्त किया था और उसे उचित टिकट के बिना यात्रा करने वाला माना जाएगा और धारा १३८ के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। :

बशर्ते कि गणना के निर्णय में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के तहत दंड दो सौ और पचास रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा।

143. रेलवे टिकटों के प्रापण और आपूर्ति के व्यवसाय को अनाधिकृत रूप से करने के लिए शास्ति

(१) यदि कोई व्यक्ति, जो रेल सेवक या इस निमित्त प्राधिकृत एजेंट नहीं है, -

(ए) रेलवे में यात्रा के लिए या ट्रेन में यात्रा के लिए आरक्षित स्थान के लिए टिकट खरीदने और आपूर्ति करने का व्यवसाय करता है; या

(बी) खुद या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी भी व्यवसाय को चलाने की दृष्टि से टिकट खरीद या बेचता है या खरीदने या बेचने का प्रयास करता है, तो वह कारावास से दंडनीय होगा जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है या दस हजार रुपये तक जुर्माना हो सकता है या दोनों, और उन टिकटों को भी जब्त कर लेगा जिन्हें वह इस प्रकार खरीदता है, बेचता है या खरीदने या बेचने का प्रयास करता है:

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में अदालत के फैसले में उल्लेख किया गया है, ऐसी सजा एक महीने की अवधि के कारावास या पांच हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगी।

(२) जो कोई इस धारा के तहत दंडनीय किसी भी अपराध को उकसाता है, चाहे ऐसा अपराध किया गया हो या नहीं, उसी दंड के साथ दंडनीय होगा जैसा कि अपराध के लिए प्रदान किया गया है।

144. फेरी लगाने**,** आदि और भीख मांगने पर प्रतिबंध —

(१) यदि कोई व्यक्ति रेलवे प्रशासन द्वारा दिए गए लाइसेंस के नियमों और शर्तों के तहत और उसके अनुसार छोड़कर, किसी भी रेल गाड़ी में या रेलवे के किसी भी हिस्से पर किसी भी कस्टम या फेरी के लिए प्रचार करता है या किसी भी लेख को बिक्री के लिए उजागर करता है। इस निमित्त, वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दो हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा:

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में अदालत के फैसले में उल्लेख किया जाएगा, ऐसी सजा एक हजार रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगा ।

(२) यदि कोई व्यक्ति किसी रेलवे गाड़ी में या किसी रेलवे स्टेशन पर भीख माँगता है, तो वह उपधारा (१) के तहत प्रदान किए गए दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

(३) उप-धारा (१) या उपधारा (२) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को रेलवे गाड़ी या रेलवे या रेलवे स्टेशन के किसी भी हिस्से से, जैसा भी मामला हो, अधिकृत किसी भी रेल सेवक द्वारा हटाया जा सकता है। इस ओर से या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुला सकता है।

145. मद्यपान या उदंडता -

यदि कोई व्यक्ति किसी रेल गाड़ी में या रेल के किसी भाग पर -

(ए) नशे की स्थिति में है; या
(बी) कोई उपद्रव या अभद्रता का कार्य करता है या अपमानजनक या अश्लील भाषा का उपयोग करता है; या
(सी) जानबूझकर या बिना किसी प्रतिहेतु के बिना रेलवे प्रशासन द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुविधा में हस्तक्षेप करता है ताकि किसी भी यात्री की आरामदायक यात्रा को प्रभावित किया जा सके, उसे किसी भी रेल कर्मचारी द्वारा रेलवे से हटाया जा सकता है और उसके पास को जब्त करने के अलावा या टिकट, कारावास से दंडित किया जा सकता है जो छह महीने तक हो सकता है और जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है;

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में अदालत के फैसले में उल्लेख किए जाने के विपरीत, ऐसी सजा कम से कम नहीं होगी-

(ए) पहले अपराध के लिए दोषसिद्धि के मामले में एक सौ रुपये का जुर्माना; तथा
(बी) दूसरे या बाद के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के मामले में एक महीने का कारावास और दो सौ पचास रुपये का जुर्माना।

146. रेल सेवक को उसके कर्तव्यों में बाधा डालना

यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी रेल सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है या रोकता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास जो छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

147. अतिचार और अतिचार से बचने से इंकार

(१) यदि कोई व्यक्ति बिना वैध अधिकार के रेलवे में या उसके किसी हिस्से में प्रवेश करता है, या कानूनी रूप से प्रवेश करता है या ऐसे हिस्से में ऐसी संपत्ति का दुरुपयोग करता है या छोड़ने से इनकार करता है, तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि छह तक हो सकती है। महीने, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से।

बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में अदालत के फैसले में उल्लेख किया जाएगा, ऐसी सजा पांच सौ रुपये के जुर्माने से कम नहीं होगी।

(२) उप-धारा (१) में निर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी रेल सेवक द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जिसे ऐसा रेल सेवक अपनी सहायता के लिए बुला सकता है, रेलवे से हटाया जा सकता है।

१४८. मुआवजे के लिए एक आवेदन में गलत बयान देने के लिए जुर्माना

यदि धारा 125 के तहत मुआवजे के लिए किसी भी आवेदन में, कोई व्यक्ति एक बयान देता है जो झूठा है या जिसे वह जानता है या झूठा मानता है या सच नहीं मानता है, तो उसे तीन साल के कारावास से दंडित किया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों।

149. मुआवजे के लिए झूठा दावा करना

यदि कोई व्यक्ति किसी खेप के नुकसान, विनाश, क्षति, खराब होने या गैर-डिलीवरी के लिए रेलवे प्रशासन से मुआवजे की मांग करता है, तो वह दावा करता है जो झूठा है या जिसे वह जानता है या झूठा मानता है या सच नहीं मानता है, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

150. दुर्भावनापूर्ण रूप से ट्रेन को तोड़ना या नष्ट करने का प्रयास करना -

(१) उप-धारा (२) के प्रावधानों के अधीन, यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से,-

(ए) किसी भी रेलवे, किसी लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ या चीज उस पर रखेगा या उसके उपर फेंकता है; या
(बी) किसी भी रेल, स्लीपर या अन्य सामग्री या किसी भी रेलवे से संबंधित चीजों को लेता है, हटाता है, ढीला करता है या विस्थापित करता है; या
(सी) किसी भी रेलवे से संबंधित किसी भी बिंदु या अन्य मशीनरी को घुमाता है, हिलाना, खोलना या मोड़ना; या
(डी) किसी भी रेलवे पर या उसके पास कोई संकेत या प्रकाश करता है या दिखाता है, या छुपाता है या हटाता है; या
(ई) किसी रेलवे के संबंध में कोई अन्य कार्य करेगा या करने का प्रयास करता है, इस इरादे से या इस ज्ञान के साथ कि वह रेलवे पर यात्रा करने वाले या यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है, वह आजीवन कारावास, या कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।
बशर्ते कि विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में अदालत के फैसले में उल्लेख किया जाएगा , जहां कोई व्यक्ति कठोर कारावास से दंडनीय है, वहाँ ऐसा कारावास कम नहीं होगा-

(ए) तीन साल, पहले अपराध के दोषसिद्धि के मामले में; तथा
(बी) सात साल, दूसरे या बाद के अपराध के लिए दोषसिद्धि के मामले में।

(२) यदि कोई व्यक्ति गैर-कानूनी रूप से उपधारा (१) के किसी भी खंड में निर्दिष्ट कोई कार्य या बात करता है -

(ए) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनने के इरादे से और ऐसा कार्य या चीज करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है; या
(बी) इस ज्ञान के साथ कि ऐसा कार्य या चीज इतनी खतरनाक है कि यह किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या किसी भी व्यक्ति को ऐसी शारीरिक चोट का कारण बनता है जिससे ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने की संभावना है, वह मौत दंड या आजीवन कारावास ,से दंडनीय होगा।

151. कुछ रेलवे संपत्तियों को नुकसान या नष्ट करना

(१) यदि कोई व्यक्ति, इरादे से, या यह जानते हुए कि वह उपधारा (२) में निर्दिष्ट रेलवे की किसी संपत्ति को नुकसान या विनाश का कारण बना सकता है, आग, विस्फोटक पदार्थ या अन्यथा, क्षति का कारण बनता है ऐसी संपत्ति या ऐसी संपत्ति को नष्ट करने पर वह कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

(२) उप-खंड (१) में संदर्भित रेलवे के सम्पत्ति, रेलवे ट्रैक, पुल, स्टेशन भवन और प्रतिष्ठान, गाड़ी या वैगन, लोकोमोटिव, सिग्नलिंग, दूरसंचार, विद्युत कर्षण और ब्लॉक उपकरण और ऐसी अन्य संपत्तियां हैं जैसे केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उसके नुकसान या उसके विनाश से रेलवे के संचालन को खतरा होने की संभावना है, अधिसूचना द्वारा, निर्दिष्ट किया जा सकता है।

152. रेलवे से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को दुर्भावना से चोट पहुँचाना या चोट पहुँचाने का प्रयास करना

यदि कोई व्यक्ति किसी रेलगाड़ी, किसी लकड़ी, पत्थर या अन्य पदार्थ या वस्तु को इस आशय से, या इस ज्ञान के साथ कि इससे उसकी सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है, किसी रेलगाड़ी का हिस्सा बनने वाले किसी रोलिंग स्टॉक पर या उसके विरुद्ध अवैध रूप से फेंकता या गिरने या प्रहार करने का कारण बनता है कोई भी व्यक्ति ऐसे रोलिंग स्टॉक में या उस पर या उसी ट्रेन का हिस्सा बनने वाले किसी अन्य रोलिंग स्टॉक में होने पर, उसे आजीवन कारावास, या कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसकी अवधि दस साल से कम नही होगी ।

153. जानबूझकर कार्य या चूक से रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना

यदि कोई व्यक्ति कोई गैरकानूनी कार्य करता है या किसी जानबूझकर चूक या उपेक्षा से, किसी भी रेलवे पर यात्रा करने वाले या उस पर होने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है, या किसी भी रोलिंग स्टॉक में बाधा डालता है या बाधित करने का प्रयास करता है, वह कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है।

154. जल्दबाजी या लापरवाहीपूर्ण कार्य या चूक से रेल यात्रा करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना

यदि कोई व्यक्ति जल्दबाजी और लापरवाही से कोई कार्य करता है, या वह करने से चूक जाता है जो वह करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है, और कार्य या चूक से किसी भी रेलवे यात्रा करने वाले या यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरा होने की संभावना है, तो वह दंडनीय होगा कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से।

155. आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना या आरक्षित न किए गए डिब्बे में प्रवेश का विरोध करना

(१) यदि कोई यात्री-

(ए) एक ऐसे डिब्बे में प्रवेश किया है जिसमें रेलवे प्रशासन द्वारा उसके उपयोग के लिए कोई बर्थ या सीट आरक्षित नहीं की गई है, या
(बी) किसी अन्य यात्री के उपयोग के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा आरक्षित एक बर्थ या सीट पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है, इस संबंध में अधिकृत किसी रेलवे कर्मचारी द्वारा ऐसा करने के लिए आवश्यक होने पर उसे छोड़ने से इंकार कर दिया, ऐसा रेल कर्मचारी उसे हटा सकता है या उसे ले जा सकता है किसी अन्य व्यक्ति की सहायता से, यथास्थिति, डिब्बे, बर्थ या सीट से हटाया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

(२) यदि कोई यात्री किसी अन्य यात्री के ऐसे डिब्बे में प्रवेश करने का विरोध करता है जो विरोध करने वाले यात्री के उपयोग के लिए आरक्षित नहीं है, तो वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो दो सौ रुपये तक हो सकता है।

156. ट्रेन की छत**,** सीढ़ी या इंजन पर यात्रा करना-

यदि कोई यात्री या कोई अन्य व्यक्ति, रेल सेवक द्वारा चेतावनी दिए जाने के बाद भी, किसी गाड़ी की छत, सीढ़ी या फुट-बोर्ड पर या इंजन पर, या ट्रेन के किसी अन्य हिस्से में यात्रा करने के लिए अभिप्रेत नहीं है, का उपयोग करने पर, किसी रेल सेवक द्वारा रेलवे से हटाया जा सकता है, और वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

157. पास या टिकट को बदलने का परिवर्तन-

यदि कोई यात्री जानबूझकर अपने पास या टिकट को बदल देता है या विरूपित कर देता है ताकि तारीख, संख्या या उसके किसी भी महत्वपूर्ण हिस्से को अवैध बना दिया जा सके, तो उसे तीन महीने तक के कारावास या पांच सौ रुपये, तक के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। या दोनों।

१५८. अध्याय **XIV .** के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए शास्ति

कोई भी व्यक्ति जिसके अधिकार के तहत कोई रेल कर्मचारी अध्याय XIV के किसी भी प्रावधान या उसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में कार्यरत है, वह पांच सौ रुपये तक के जुर्माने से दंडनीय होगा।

159. रेल सेवक आदि के निर्देश पर वाहन चालकों या परिचालकों की अवज्ञा।

यदि कोई वाहन चालक या परिचालक रेलवे परिसर में किसी रेल कर्मचारी या पुलिस अधिकारी के उचित निर्देशों की अवज्ञा करता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या पांच सौ रुपये जुर्माने से, दंडनीय होगा। या दोनों।

160. समपार फाटक खोलना या तोड़ना-

(१) यदि कोई व्यक्ति, रेल सेवक या इस निमित्त प्राधिकृत व्यक्ति के अलावा, सड़क यातायात के लिए बंद समपार क्रॉसिंग के दोनों ओर स्थापित किसी गेट या चेन या बैरियर को खोलता है, तो वह कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की होगी ।

(२) यदि कोई व्यक्ति सड़क यातायात के लिए बंद समपार के दोनों ओर स्थापित किसी फाटक या जंजीर या बैरियर को तोड़ता है, तो उसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

161. लापरवाही से मानवरहित समपार को पार करना-

यदि कोई व्यक्ति वाहन चला रहा है या उसका नेतृत्व कर रहा है, तो वह मानव रहित समपार को पार करने में लापरवाही करता है, तो उसे कारावास से दंडित किया जा सकता है, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

स्पष्टीकरण:- इस धारा के प्रयोजनों के लिए किसी मानव रहित समपार को पार करने में वाहन चलाने या ले जाने वाले किसी भी व्यक्ति के संबंध में "लापरवाही" का अर्थ है ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे समपार को पार करना-

(ए) बिना रुके या परवाह किए बिना ऐसे समपार के पास वाहन को रोकने के लिए यह देखने के लिए कि क्या कोई रोलिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है, या
(बी) तब भी जब एक निकटवर्ती चल स्टॉक दृष्टि में हो।

162. महिलाओं के लिए आरक्षित गाड़ी या अन्य स्थान में प्रवेश करना-

यदि कोई पुरुष व्यक्ति यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि रेल प्रशासन द्वारा महिलाओं के अनन्य उपयोग के लिए बिना वैध बहाने के एक गाड़ी, डिब्बे, बर्थ या सीट आरक्षित की जाती है, -

(ए) ऐसी गाड़ी, डिब्बे, कमरे या अन्य स्थान में प्रवेश करता है, या ऐसी गाड़ी, डिब्बे, कमरे या स्थान में प्रवेश करने के बाद, उसमें रहता है; या
(बी) किसी भी रेल कर्मचारी द्वारा इसे खाली करने के लिए आवश्यक किसी भी बर्थ या सीट पर कब्जा कर लेता है,

वह अपने पास या टिकट को जब्त करने के लिए उत्तरदायी होने के अलावा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और किसी भी रेल कर्मचारी द्वारा हटाया भी जा सकता है।

163. माल का झूठा हिसाब देना-

यदि किसी व्यक्ति को धारा ६६ के तहत माल का लेखा-जोखा प्रस्तुत करने की आवश्यकता है, तो वह एक खाता देता है जो भौतिक रूप से झूठा है, वह और, यदि वह माल का मालिक नहीं है, तो मालिक भी, किसी भी भाड़ा या भुगतान के अपने दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत अन्य शुल्क, जुर्माने से दंडनीय होगा जो ऐसे माल के प्रत्येक क्विंटल या उसके हिस्से के लिए पांच सौ रुपये तक हो सकता है।

164. रेलवे पर अवैध रूप से खतरनाक सामान लाना-

यदि कोई व्यक्ति, धारा 67 के उल्लंघन में, अपने साथ कोई खतरनाक सामान ले जाता है या ऐसे माल को रेल प्रशासन को वहन के लिए सौंपता है, तो उसे एक अवधि के लिए कारावास, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, या दोनों के साथ, और रेलवे पर ऐसे माल लाने के कारण होने वाली किसी भी हानि, चोट या क्षति के लिए भी उत्तरदायी होगा।

165. रेलवे पर अवैध रूप से आपत्तिजनक सामान लाना-

यदि कोई व्यक्ति, धारा 67 के उल्लंघन में, अपने साथ कोई आपत्तिजनक सामान ले जाता है या ऐसे माल को रेल प्रशासन को वहन के लिए सौंपता है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और किसी भी नुकसान, चोट के लिए भी उत्तरदायी होगा। या क्षति जो ऐसे माल को रेलवे पर लाने के कारण हो सकती है।

166. सार्वजनिक सूचनाओं को विकृत करना-

यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना-

(ए) रेलवे या किसी चल स्टॉक पर रेलवे प्रशासन के आदेश द्वारा स्थापित या पोस्ट किए गए किसी बोर्ड या दस्तावेज़ को नीचे खींच या जानबूझकर नुकसान पहुंचाएगा; या
(बी) ऐसे किसी बोर्ड या दस्तावेज़ पर या बिल्कुल चल स्टॉक पर किसी भी अक्षर या आंकड़े को मिटा देता है या बदल देता है,

वह कारावास से, जिसकी अवधि एक माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

167. धूम्रपान-

ट्रेन के किसी भी डिब्बे में कोई भी व्यक्ति, यदि उस डिब्बे में किसी अन्य यात्री द्वारा विरोध किया जाता है, तो उसमें धूम्रपान नहीं करेगा।
(२) उपधारा (१) में किसी भी बात के होते हुए भी, रेल प्रशासन किसी भी ट्रेन या ट्रेन के हिस्से में धूम्रपान पर रोक लगा सकता है।
(३) जो कोई भी उपधारा (१) या उपधारा (२) के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है।

168. रेलवे में यात्रा करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्यों के बच्चों द्वारा अपराध करने के संबंध में प्रावधान -

(१) यदि बारह वर्ष से कम आयु का व्यक्ति धारा १५० से १५४ के तहत किसी भी अपराध का दोषी है, तो उसे समझाने वाला न्यायालय ऐसे व्यक्ति के पिता या अभिभावक को निष्पादित करने की आवश्यकता कर सकता है, जो ऐसा समय है जो अदालत तय कर सकती है, ऐसी राशि के लिए एक बांड और ऐसी अवधि के लिए जो अदालत ऐसे व्यक्ति के अच्छे आचरण के लिए निर्देश दे सकती है।

(२) बांड की राशि, यदि जब्त कर ली जाती है, तो अदालत द्वारा वसूली योग्य होगी जैसे कि यह स्वयं द्वारा लगाया गया जुर्माना था।
(३) यदि कोई पिता या अभिभावक अदालत द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपधारा (१) के तहत बांड निष्पादित करने के लिए असफल हो जाता है, तो वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पचास रुपये तक हो सकता है।

169. अशासकीय रेलवे पर शास्ति का उद्ग्रहण-

यदि कोई गैर-सरकारी रेलवे इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत केंद्र सरकार द्वारा दिए गए किसी भी मांग, निर्णय या निर्देश का अनुपालन करने में विफल रहता है, या अन्यथा इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो केंद्र सरकार, आदेश द्वारा, दो सौ पचास रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने के लिए और प्रत्येक दिन के दौरान अतिरिक्त शास्ति के रूप में एक सौ पचास रुपये से अधिक का जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, जिसके दौरान उल्लंघन जारी रहता है: -

बशर्ते कि गैर-सरकारी रेलवे को ऐसा प्रतिनिधित्व करने के लिए उचित अवसर देने के अलावा ऐसा कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा जो वह उचित समझे।

170. शास्ति की वसूली-

धारा 169 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया कोई भी दंड, जिला न्यायालय में एक वाद द्वारा वसूली योग्य होगा, जिस स्थान पर गैर-सरकारी रेलवे का मुख्यालय स्थित है।

१७१. धारा १६९ या १७० केंद्र सरकार को कोई अन्य कार्रवाई करने से नहीं रोकना-

धारा १६९ या १७० में कुछ भी केंद्र सरकार को इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत किसी भी गैर-सरकारी रेलवे पर लगाए गए किसी भी दायित्व का निर्वहन करने के लिए मजबूर करने के लिए किसी अन्य कार्रवाई का सहारा लेने से नहीं रोकेगा।

172. नशा करने के लिए दंड-

यदि कोई रेल कर्मचारी ड्यूटी के दौरान नशे की स्थिति में है, तो उसे जुर्माने से दंडित किया जाएगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है और जब ऐसी स्थिति में किसी भी कर्तव्य के प्रदर्शन से यात्रा करने वाले या यात्रा करने वाले किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा खतरे में पड़ने की संभावना है। रेलवे पर, ऐसे रेल सेवक को कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

173. बिना प्राधिकार के गाड़ी आदि का परित्याग-

यदि कोई रेल कर्मचारी, जब ड्यूटी पर होता है, तो उसे एक स्टेशन या स्थान से दूसरे स्टेशन या स्थान पर ट्रेन चलाने या किसी अन्य रोलिंग स्टॉक से संबंधित कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है, और वह ऐसे स्टेशन या स्थान पर पहुंचने से पहले अपना कर्तव्य छोड़ देता है अधिकार के बिना या किसी अन्य अधिकृत रेल कर्मचारी को ऐसी ट्रेन या रोलिंग स्टॉक को ठीक से संभालने के बिना, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकती है, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।

174. गाड़ी चलाने आदि में बाधा डालना।-

यदि कोई रेल सेवक (चाहे ड्यूटी पर हो या अन्यथा) या कोई अन्य व्यक्ति रेलवे पर किसी ट्रेन या अन्य रोलिंग स्टॉक में बाधा डालता है या बाधा डालने का प्रयास करता है-

(ए) बैठने या धरना देकर या किसी रेल रोको आंदोलन या बंद के दौरान; या
(बी) बिना अधिकार के रेलवे पर कोई रोलिंग स्टॉक रखकर; या
(सी) अपने होज़ पाइप के साथ किसी अन्य तरीके से छेड़छाड़ करने, डिस्कनेक्ट करने या हस्तक्षेप करने या सिग्नल गियर के साथ छेड़छाड़ करने या अन्यथा, वह दो साल तक के कारावास या दो हजार रुपये तक के जुर्माने से, दंडनीय होगा। या दोनों।

175. व्यक्तियों की सुरक्षा को खतरे में डालना-

यदि कोई रेल सेवक ड्यूटी पर रहते हुए किसी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डालता है-

(ए) इस अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी नियम की अवज्ञा करके; या
(बी) इस अधिनियम, या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी निर्देश, आदेश की अवज्ञा करके; या
(सी) किसी भी लापरवाही से कार्य या चूक से,

वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

176. समपार को बाधित करना-

यदि कोई रेल सेवक अनावश्यक रूप से-

(ए) किसी भी रोलिंग स्टॉक को उस स्थान पर खड़े होने की अनुमति देता है जहां रेलवे स्तर पर एक सार्वजनिक सड़क पार करता है; या
(बी) जनता के खिलाफ एक समपार को बंद रखता है,

वह जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक सौ रुपये तक हो सकता है।

177. गलत रिटर्न-

यदि किसी रेल कर्मचारी को इस अधिनियम के तहत या इसके तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है, तो वह हस्ताक्षर करता है और रिटर्न प्रस्तुत करता है जो किसी भी सामग्री विशेष में झूठा है या जिसे वह जानता है या झूठा मानता है, या सच होने पर विश्वास नहीं करता है, तो वह दंडनीय होगा कारावास जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है, या दोनों।

178. रेल सेवक द्वारा झूठी रिपोर्ट करना-
यदि कोई रेल सेवक जिसे रेल प्रशासन द्वारा किसी खेप के नुकसान, विनाश, क्षति, खराब होने या सुपुर्दगी न करने के दावे की जांच करने के लिए कहा जाता है, एक रिपोर्ट करता है जो झूठी है या जिसे वह जानता है या झूठा मानता है या विश्वास नहीं करता है सत्य होने पर, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

179. कुछ धाराओं के तहत अपराधों के लिए गिरफ्तारी

(१) यदि कोई व्यक्ति धारा १३७, १४१ से १४७, १५० से १५७, १६० से १६२, १६४, १६६, १६८ और १७२ से १७५ में उल्लिखित कोई अपराध करता है तो उसे बिना वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के किसी भी रेल सेवक द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है। या पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो।

(२) रेल सेवक या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को उप-धारा (१) के तहत गिरफ्तारी के लिए उसकी सहायता के लिए बुला सकता है।

(३) इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।

180. फरार होने की संभावना वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी**,** आदि।

(१) यदि कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के तहत धारा १७९ में वर्णित अपराध के अलावा कोई अपराध करता है, या धारा १३८ के तहत मांगे गए किसी भी अतिरिक्त शुल्क या अन्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, असफल हो जाता है या अपना नाम और पता देने से इनकार करता है या वहां यह मानने का कारण है कि उसके द्वारा दिया गया नाम और पता काल्पनिक है या वह फरार हो जाएगा, इस संबंध में अधिकृत कोई भी रेल कर्मचारी या हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का ना हो, कोई भी पुलिस अधिकारी उसे वारंट या लिखित अधिकार के बिना गिरफ्तार कर सकता है।

(२) रेल सेवक या पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को उप-धारा (१) के तहत गिरफ्तार करने के लिए अपनी सहायता के लिए बुला सकता है।

(३) इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जब तक कि मजिस्ट्रेट की अदालत की गिरफ्तारी के स्थान से यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, जब तक कि उसे पहले रिहा नहीं किया जाता है। जमानत देने पर या यदि वह सही नाम और पता है तो बिना जमानत के बांड निष्पादित करने से पहले या अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाने के अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति का पता लगाया जाता है।

(४) आपराधिक प्रक्रिया, १९७३ (१९७४ का २) के अध्याय, XXIII के प्रावधान, जहां तक हो सके, इस धारा के तहत जमानत देने और बांड के निष्पादन पर लागू होंगे।

181. अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट-

दंड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) में किसी बात के होते हुए भी, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से नीचे का कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के तहत अपराध का विचारण नहीं करेगा।

182. परीक्षण का स्थान-

(१) इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत अपराध करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए किसी भी स्थान पर उत्तरदायी होगा जहां वह हो सकता है या जिसे राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचित कर सकती है, साथ ही साथ कोई अन्य स्थान जहां वह उस समय लागू किसी भी कानून के तहत मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और उसकी एक प्रति जनता की जानकारी के लिए ऐसे रेलवे स्टेशनों पर किसी विशिष्ट स्थान पर प्रदर्शित की जाएगी जो राज्य सरकार निर्देश दें।

(III) रेलवे **(**दूसरा संशोधन**)** अधिनियम**, 2003**

"रेलवे अधिनियम, 1989" में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम को रेलवे (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जाएगा।
(२) यह उस तारीख को लागू होगा, जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 में (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित), -
(ए) खंड (26) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्: -
(२६ए) "अधिकृत अधिकारी" का अर्थ है धारा १७९ की उपधारा (२) के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी;
(बी) खंड (34) में, "रेल सेवक" शब्दों के बाद, निम्नलिखित डाला जाएगा, अर्थात्: -
"रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (सी) के तहत नियुक्त रेलवे सुरक्षा बल के सदस्य सहित"।

3. मूल अधिनियम की धारा 179 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :-
"179. (१) यदि कोई व्यक्ति धारा १५० से १५२ में उल्लिखित कोई अपराध करता है, तो उसे बिना वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के किसी भी रेलवे कर्मचारी या पुलिस अधिकारी द्वारा, जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो, गिरफ्तार किया जा सकता है।
(२) यदि कोई व्यक्ति धारा १३७ से १३९, १४१ से १४७, १५३ से १५७, १५९ से १६७ और १७२ से १७६ में वर्णित कोई अपराध करता है, तो उसे एक अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा वारंट या अन्य लिखित प्राधिकार के बिना गिरफ्तार किया जा सकता है। केंद्र सरकार का अधिसूचित आदेश।
(३) रेल सेवक या पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपनी सहायता के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उप-धारा (१) या उप-धारा (२) के तहत गिरफ्तारी के लिए बुला सकता है, जैसा भी मामला हो हो सकता है।
(४) इस धारा के तहत गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, ऐसी गिरफ्तारी के चौबीस घंटे की अवधि के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा।

4. मूल अधिनियम की धारा 180 में :-
(ए) उपधारा (1) में: -

(i) शब्द और अंक "धारा १७९" के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक (धारा १७९ की उप-धारा (२)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
(ii) "इस निमित्त प्राधिकृत कोई रेल सेवक या कोई पुलिस अधिकारी जो हेड कांस्टेबल के पद से नीचे का न हो" शब्दों के स्थान पर "अधिकारी प्राधिकृत" शब्द रखे जाएंगे;
(बी) उप-धारा (2) में, "रेल सेवक या पुलिस अधिकारी" शब्दों के स्थान पर, "प्राधिकृत अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे।

5. मूल अधिनियम की धारा 180 के बाद निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

"180ए. किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए, अधिकृत अधिकारी धारा 179 की उप-धारा (2) में उल्लिखित अपराध की जांच कर सकता है और सक्षम अदालत में शिकायत दर्ज कर सकता है यदि अपराध किया गया पाया जाता है .

180बी. जांच करते समय, अधिकृत अधिकारी के पास शक्ति होगी
(i) किसी भी व्यक्ति को बुलाना और उसकी उपस्थिति को लागू करना और उसका बयान दर्ज करना।
(ii) किसी भी दस्तावेज की जाँच और क़ब्ज़े की आवश्यकता है।
(iii) किसी कार्यालय, प्राधिकरण या व्यक्ति से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रति की मांग करना।
(iv) किसी भी परिसर में प्रवेश करें और या व्यक्ति और उसकी तलाशी लें और किसी भी संपत्ति या दस्तावेज को जब्त करें जो जांच की विषय वस्तु के लिए प्रासंगिक हो।
ग. धारा 179 की उप-धारा (2) के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को, यदि गिरफ्तारी अधिकृत अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई थी, तो ऐसे अधिकारी को बिना देरी के अग्रेषित किया जाएगा।

180डी. (१) जब किसी व्यक्ति को इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा अधिकारी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए आगे बढ़ेगा।
(२) इस प्रयोजन के लिए, अधिकृत अधिकारी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और उन्हीं प्रावधानों के अधीन होगा जैसा एक संज्ञेय मामला कि जाँच में पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी प्रयोग कर सकता है और जांच करते समय दंड प्रक्रिया संहिता १९७३ के प्रावधानों के अधीन है।
अंतिम रूप -
(ए) यदि अधिकृत अधिकारी की राय है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार है, तो वह या तो उसे मामले में अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के लिए जमानत के लिए स्वीकार करेगा, या उसे ऐसे मजिस्ट्रेट की हिरासत में भेज देगा।
(बी) यदि अधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो वह आरोपी व्यक्ति को बंधपत्र निष्पादित करने पर, ज़मानत के साथ या बिना जमानत के, जैसा कि हो, अधिकृत अधिकारी निर्देशित कर सकता है, को रिहा कर देगा। अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हों, यदि और जब आवश्यक हो।

180ई. इस अधिनियम के तहत की गई सभी तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारियां उस संहिता के तहत की गई तलाशी और गिरफ्तारी से संबंधित क्रमशः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार की जाएंगी।

180F. अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा कोई भी अदालत धारा 179 की उप-धारा (2) में वर्णित अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

180जी. जो कोई जानबूझकर जांच की कार्यवाही में किसी भी तरह का अपमान करता है या बाधित करता है या जानबूझकर जांच अधिकारी के सामने झूठा बयान देता है, उसे छह महीने तक की अवधि के लिए साधारण कारावास, या एक हजार रुपये तक का जुर्माना, या के साथ दंडित किया जाएगा।या दोनों"।

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने के लिए एक अधिनियम। भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) इस अधिनियम को रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) अधिनियम, 2003 कहा जा सकता है।
(२) यह उस तारीख को लागू होगा, जो केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) में, लंबे शीर्षक में, "रेलवे संपत्ति" शब्दों के लिए, शब्द "रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. मूल अधिनियम की धारा 2 में, खंड (सी) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्: -

'(सीए) "यात्री" का अर्थ रेलवे अधिनियम, 1989 में निर्दिष्ट किया जाएगा;
'(सीबी) "यात्री क्षेत्र" में रेलवे प्लेटफॉर्म, ट्रेन, यार्ड और ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल होंगे जहां यात्रियों द्वारा अक्सर दौरा किया जाता है;

4. मूल अधिनियम की धारा 11 के लिए; निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"11. यह प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी और बल के सदस्य का कर्तव्य होगा -

(ए) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा उसे कानूनी रूप से जारी किए गए सभी आदेशों को तुरंत निष्पादित करने के लिए;
(बी) रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए;
(सी) रेलवे संपत्ति या यात्री क्षेत्र की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए; और
(डी) रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अनुकूल कोई अन्य कार्य करने के लिए।

5. मूल अधिनियम की धारा 12 में, "रेलवे संपत्ति" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हैं, शब्द "रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

6. मूल अधिनियम की धारा 14 में, "पुलिस अधिकारी को" शब्दों के स्थान पर "पुलिस अधिकारी को ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी की परिस्थितियों की विस्तृत रिपोर्ट सहित" शब्द रखे जाएंगे।

——००००००——